# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

## राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च 2024

| प्रकरण नं0 | तारीख दायर | तारीख फैसल |
|---|---|---|
| 133 / प्रा0पत्र / 2023 | 09.011.2023 | 09.03.2024 |

महावीर शर्मा उम्र व्यस्क आत्मज स्व. श्री हरिमोहन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

..........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री नन्द सिंह सोलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

### – : : निर्णय : : –

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम**

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खतोनी सं0 नई 798 पुरानी 678 ख0सं0 1029 रकबा 0.0621 है0 वाके ग्राम देहित पटवार हल्का देहित भू0अ0निरी0 वृत देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त आराजी के आस – पास के काश्तकारों ने उक्त आराजीयात को दबा लिया है और बाबत् उनसे कहने पर वो लडाई–झगडा करने पर आमादा होते है इसलिए उक्त आराजी की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक है ताकि मौके पर शांति बनी रहे किसी प्रकार का कोई विवाद न हो इस हेतु प्रार्थी ने कई बार श्रीमान् तहसीलदार महोदय तालेड़ा को पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन कोई सुनवाई नही की इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उक्त विवादित आराजियात माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी अधिकार की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 798 पुराना 678 खसरा संख्या 1029 रकबा 0.0162 हैक्टेयर वाके ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी की मौके पर पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से अनापति पेश की है। साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से नकल जमाबन्दी खतोनी सं0 नई 798 पुरानी 678 ख0सं0 1029 रकबा 0.0162 है0 वाके ग्राम देहित पटवार हल्का देहित भू0अ0निरी0 वृत देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान संवत 2076 एवं नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया और निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि के प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है व उक्त भूमि पर काबिज काश्त होना बताया किन्तु पटवारी पटवार मण्डल देहित द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी महावीर शर्मा पुत्र हरिमोहन [illegible] सा. देह द्वारा ग्राम देहित के खसरा संख्या 1029 रकबा 0.0162 हैक्ट. किस्म गै.मु. खातेदार हरिमोहन पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण सा. देह पर खातेदार का कब्जा नही है मकानात बाड़ा बने हुए है। [illegible] पर खातेदार वर्षों से कब्जा काश्त नही है। अतः प्रार्थी का वाद वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा [illegible] होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या...01............

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या...01...........
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Harpinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:25:55 IST
Reason: SelfAttested